# न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

**अपील संख्याः–** 23/2021 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

अरविन्द कुमार पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कलसाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. ओजस्वी पुत्री } राहुलराजकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी कलसाडा तहसील बयाना नाबालिगान
2. देवेश पुत्र } जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती वन्दना शर्मा पत्नी राहुलराजकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी कलसाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. श्रीमती वंदना शर्मा पत्नि राहुलराजकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी कलसाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. राहुलराजकुमार पुत्र अरविन्द कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी कलसाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 18.12.2020 उनवानी औजस्वी वगै0 बनाम अरविन्द वगै0 प्रा0पत्र संख्या 231/2020

उपस्थितः–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलाण्ट।

निर्णय दिनांक :– 22.02.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 18.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी, विवादित आराजी को रैस्पो0/वादीगण एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी की संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति दर्शित करते हुए, अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुनवाई करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2020 से अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध, जबाव प्रस्तुत करने तक स्थगन आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। वकील अपीलाण्ट को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया।
3. अपीलाण्ट अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत् निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है तथा उसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रिकार्डेड खातेदार को बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में सुयोग्य अधीनस्थ ने कानूनी भूल की है। रैस्पो0 संख्या 01 व 02 का कोई प्रथम

दृष्टया केस किसी भी रूप में साबित नहीं है। वह वारिसान की किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। अपीलाण्ट उक्त रैस्पो0 का बाबा है व उनका पिता राहुलराजकुमार भी अभी जीवित है। ऐसी स्थिति में पिता और बाबा दोनों के जीवित रहते हुए, अपीलाण्ट की भूमि में रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 का कोई हक नहीं बनता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि मौके पर कब्जा काश्त भी अपीलाण्ट का ही है। अतः प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अपीलाण्ट के पक्ष में साबित होता है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2009(1) पेज 162, 2017(2) पेज 1362 आर0आर0जे0(4) 1997 पेज 44 का हवाला देते हुये अपीलाधीन आदेश की क्रियांविति स्थगित रखने का निवेदन किया।

4. हमने अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश का एवं उद्धरित न्याययिक दृष्टानतो का ससम्मान अध्ययन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2020 एक अन्तरिम आदेश है, विधि अनुसार अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अनुतोष, रिवीजन से प्राप्त किया जा सकता है। यदि स्थगन आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट को कोई उज्र था, तो अधीनस्थ न्यायालय में ही करना चाहिए था। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नही किया गया है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके निर्णय दिनांक 18.12.2020 के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करवाता। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है।

5. परन्तु यहॉ यह विचारणीय है कि पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 41 व 181 की प्रमाणित प्रति में विवादित आराजी अपीलाण्ट अरविन्द एवं अन्य सहखातेदार जगदीश, पवन, विनोद, सुरेश की कब्जे काश्त की आराजी दर्ज रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आर0काश्तकारी अधिनियम 1955 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि रैस्पो0 संख्या 01, 02 अपीलाण्ट के नाती एवं रैस्पो0 संख्या 03 व 04 पुत्र व पुत्रवधु हैं। जिससे जाहिर है कि रैस्पो0 के पिता व दादा अभी जीवित हैं। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2017(2) पेज 1362 में माननीय राजस्व न्यायालय एवं आर0आर0टी0 2009(1) पेज 162 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि पिता के जीवनकाल में रैस्पो0 को अधिकार अर्जित नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं कराने का भी प्रावधान है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति के बिन्दु को रिकार्ड तथा साक्ष्य के आधार पर तय किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पातें हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति दिनांक 26.02.2021 तक अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0का0अ0 का अधिकतम एक माह में विधि अनुसार निस्तारण करें, तब तक अपीलाधीन आदेश की क्रियांविति स्थगित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास, सुनाया गया।

22.02.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी, एवं
कार्यवाहक भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर